

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 19 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 27/7/2026.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत सूर्य मंदिर से बिसरा- कनेली होते हुये ज्योली रानीखेत तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 0.985 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं० 16207/2015।

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/५७/२०२२/एफ०सी०/७९२ दिनांक 08.09.2022।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकारण कर प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा के पत्रांक 7501/12-1 (2) दिनांक 22.06.2026 द्वारा सूचित किया गया है, जिसे आपके सूचनार्थ सादर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय

(चन्द्रशेखर जोशी)
वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 7501 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 22/06/2026

सेवा में

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय: - जनपद-अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोनेश्वर के अन्तर्गत सूर्य मन्दिर से बिसरा-कनेली होते हुये ज्योली रानीखेत तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 0.985 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/16207/2015)

सन्दर्भ - भारत सरकार का पत्र सं० 08/बी०/यू०सी०पी०/06/57/2022/एफ० सी० /792 दिनांक 08.09.2022 व अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि० अल्मोड़ा का पत्रांक 1832/7 सी० दिनांक 12.06.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में सूचित की गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है।

क्रम सं०	आपत्ति	निराकरण
1	The proposed alingment and location of villages proposed to be benefited by the road are not marked in the KML file which is uploaded in the online portal Part-1. The State Govt. is requested to mark the proposal alingment and location of the concerned village in the KML file and upload the same to the online portal.	संशोधित के०एम०एल० पार्ट 1 के सैक्शन सी० में अपलोड कर ली गयी है।
2	The State Govt. is requested to submit the enumeration detail of trees in 7m width.	7 मी० चौड़ाई में वृक्षों की गणना करवा ली गयी है। गणना सूची पार्ट 1 के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं० 52 पर अपलोड कर ली गयी है।
3	The proposal involves an area of 0.985 ha which is around 1.0 ha. Therefore, the state govt. is requested to submit the plantation scheme of 1970 trees for double the degraded forest land 1.97 ha for raising CA and also upload the detail of CA in online Part 2.	सी० ए० प्रपत्र पार्ट 1 के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं० 53 पर अपलोड कर लिया गया है।
4	In the perusal of the KML file, it is noticed that it is possible to connect the target population from left side of the proposed alingment which needs to be worked out because of existing bridle path is seen on the KML connecting the existing highway 109.	bridle path के संबंध में अवगत कराना है कि bridle path अत्यधिक ढलान में होने के कारण मोटर मार्ग हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।
5	The document submitted by the state govt. along with the proposal (proforma 2.1) the density of the area proposed for diversion issueation 0.4 whereas it is mentioned as 0.2 in the online portal. The State Govt. is requested to clarify the same.	प्रस्ताव के प्रपत्र proforma 2.1 में प्रस्ताव के अनुसार क्षेत्र के घनत्व में संशोधन कर पुनः प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक... 750/12-1(2) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-अधिसासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

जनपद - अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत सूर्य मन्दिर से बिस्सा - कनेली होते हुये ज्योली रानीखेत तक मोटर मार्ग का निर्माण, प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र उत्तराखण्ड

(ii) जिला अल्मोड़ा

(iii) जिला वन प्रभाग अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र. 0.985

17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति: सिविल भूमि

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:

(i) वन का प्रकार खुला वन

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व 0.2

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना संलग्न है

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा लागू नहीं

19. भूकरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रक्षेत्र की सुसमाप्त

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: 5 किमी. नहीं है

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता: —

(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा:

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अन्तर्वास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसम के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे नहीं

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) नहीं

23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें:

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अप्रतिहार्य है और परियोजना के लिए अति-न्यूनतम है। हां अप्रतिहार्य व न्यूनतम है

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्बलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे : सल 7 6 /

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रांस्थिति।

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिचय :

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्ताता के बारे में संवद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हां/नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

संस्तुति के साथ स्वीकृति देव करारित ।

स्थान:

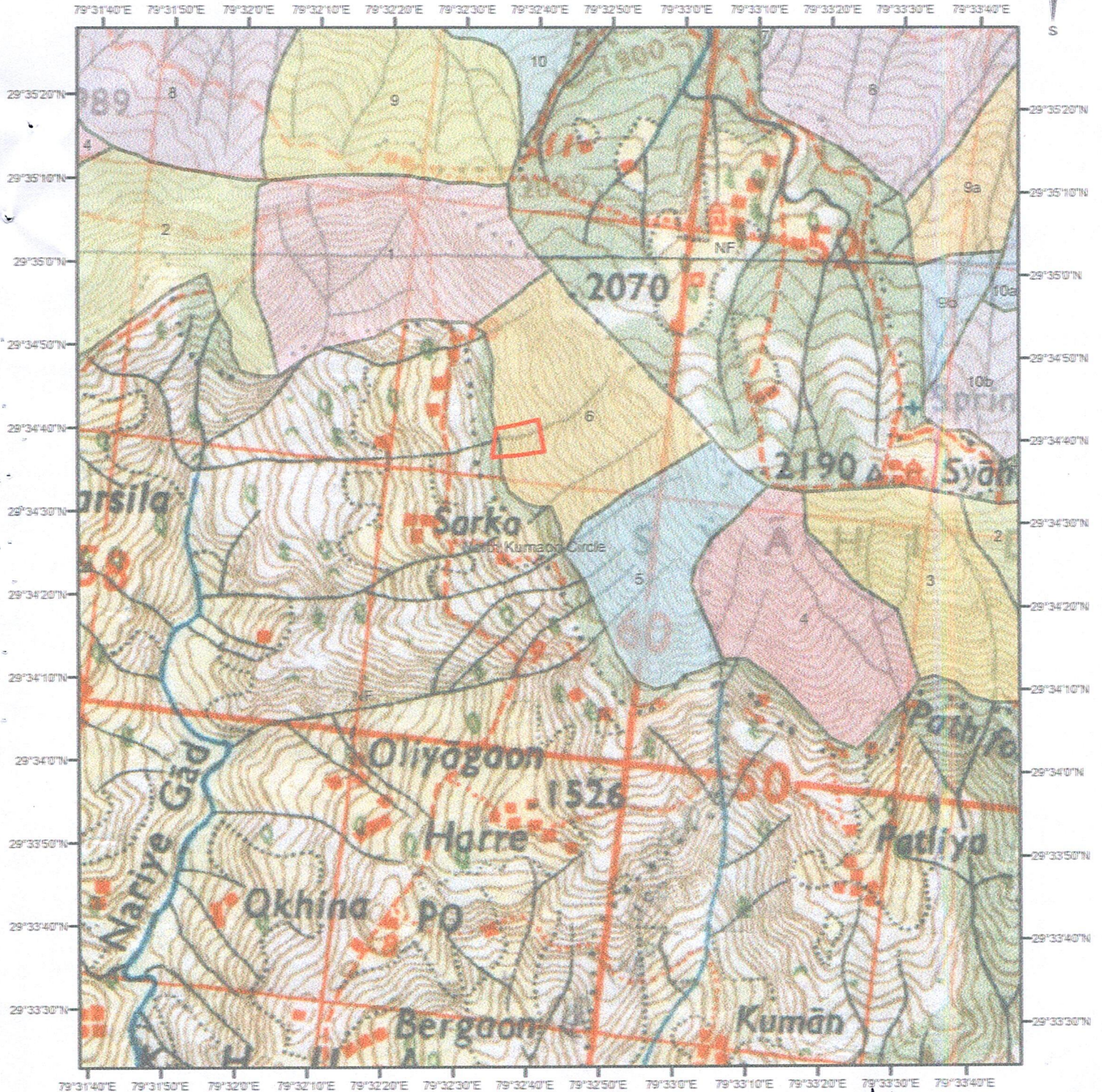
तारीख:

Almora

हस्ताक्षर

सुमंगी दासकीर्तिनन्दन
असनीड़ा वन प्रभाग असनीड़ा

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत सूर्य मंदिर से बिसरा कनैली होते हुये ज्योली रानीखेत तक लिंक मोटर मार्ग



Legend :-

ca area 1.970 ha South Syahi devi c no 6

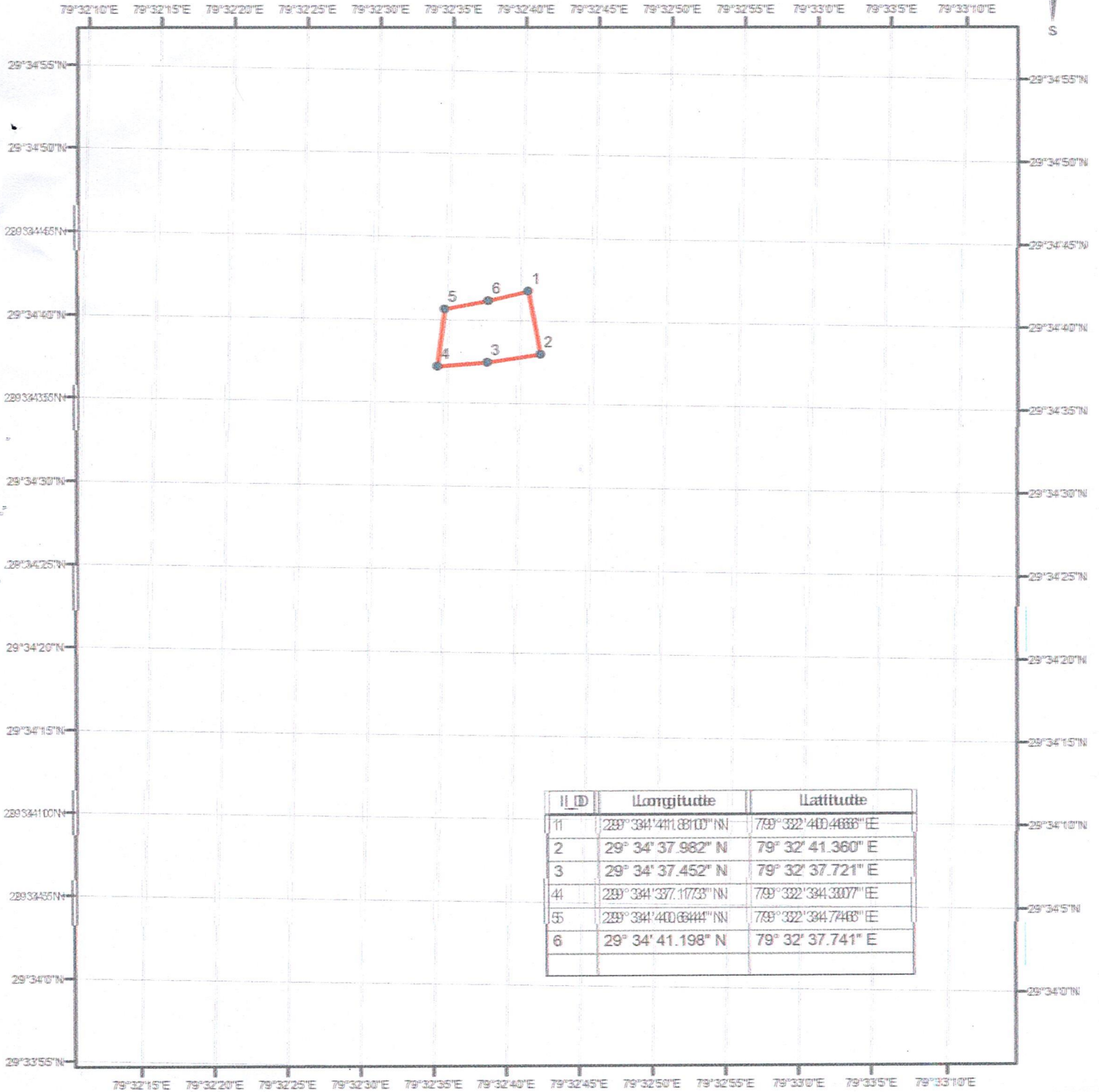
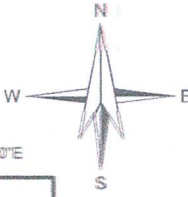
वन क्षेत्रधिकारी
अल्मोड़ा वन क्षेत्र अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रभागीय वन अधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सौमेश्वर के अंतर्गत सूर्य मंदिर से बिस्तार कनौली होते हुये ज्योली रानीखेत तक लिंक मोटर मार्ग



ID	Longitude	Latitude
1	289°34'41.1810\" N	79°32'40.4688\" E
2	29° 34' 37.982\" N	79° 32' 41.360\" E
3	29° 34' 37.452\" N	79° 32' 37.721\" E
4	289°34'37.1733\" N	79°32'34.3007\" E
5	289°34'40.6844\" N	79°32'34.7468\" E
6	29° 34' 41.198\" N	79° 32' 37.741\" E

Legend :-

• GPS

ca area 1.970 ha South Syahi devi c no 6

वन क्षेत्राधिकारी
अल्मोड़ा वन क्षेत्र अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता,
प्रदेशीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अधिरासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०

अल्मोड़ा प्रभाग वन अधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत सूर्य मंदिर से बिसरा कनैली होते हुये ज्योली रानीखेत तक लिंक मोटर मार्ग ।

संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 13.04.2026 को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध चिन्हित ~~दक्षिणी~~ ~~स्पाटी देवी क्षेत्र सं. 6~~ के अंतर्गत 1.970 है० आरक्षित अवनत भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री ~~दिनेश मिश्र रावत कबीर आदिनाथ रमणी~~ एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री ~~विश्वेश्वर चन्द्र शर्मा~~ प्रा०ख० लो०नि०वि० अल्मोड़ा द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि ~~दक्षिणी स्पाटी देवी क्षेत्र सं. 6~~ के अंतर्गत 1.970 है० आरक्षित अवनत भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

होम चट्ट
30/4/26

(दिनेश मिश्र रावत)
कबीर आदिनाथ
दक्षिणी स्पाटी देवी क्षेत्र

(विश्वेश्वर चन्द्र शर्मा)
अधीन
प्रा०ख० लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

वन सहायक
अल्मोड़ा वन क्षेत्र अल्मोड़ा

प्रमाणित वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत सूर्य मंदिर से बिसरा कनैली होते हुये ज्योली रानीखेत तक लिंक मोटर मार्ग

क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन स्थल उपर्युक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित दक्षिणी स्याही देवी आरक्षित कक्ष सं० 6 वन क्षेत्र अल्मोड़ा की 1.970 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

योजना का नाम—जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत सूर्य मंदिर से बिसरा कनैली होते हुये ज्योली रानीखेत तक लिंक मोटर मार्ग के सापेक्ष वृक्षारोपण

स्थल का नाम— दक्षिणी स्याही देवी कक्ष संख्या— 06

राजि का नाम—अल्मोड़ा वन क्षेत्र, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

क्षेत्रफल—1.970 हे०

प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य				
1	साईड स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमार्केशन, के०एम०एल० फाईल तैयार करना, रूट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण कार्य)	1.97	1118.00	2202.46
2	क्षेत्र की सफाई	1.97	969.00	1908.93
4	घेरबाड़ करना कुली वाल (100 घ०मी० प्रति है० 193 र०मी० प्रति है०) (888x0.45x1.15)	298	523.00	155854.00
5	पौधों की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित)	1970	13.40	26398.00
6	गडडा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	1970	12.16	23955.20
7	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य 1. कन्टूर फर्रे 1914 र०मी० (1914x27=51678) (साईज 1x0.30x0.30) 2. चाल खाल 09 संख्या (9x5000=45000) (साईज 4x2.5x1.00)	1970 3	27.00 5000.00	53190.00 15000.00
8	निरीक्षण बटिया	1.97	805.00	1585.85
उप योग—		-	-	280094.44
9	पौधालय विकास एवं अनुरक्षण कार्य 02 प्रतिशत	1.97	2168.12	4271.20
10	मुल्याकन एवं अभिलेखीकरण 0.50 प्रतिशत	1.97	542.03	1067.80
11	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	1.97	542.03	1067.80
12	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय— 1 प्रतिशत	1.97	1084.06	2135.60
13	कार्यालय व्यय— स्टेशनरी, हाईवेयर/साफ्टवेयर— 1 प्रतिशत	1.97	1084.06	2135.60
14	अन्य आकिस्मक व्यय— 1 प्रतिशत	1.97	1084.06	2800.94
योग प्रथम वर्ष		-	-	293573.38
द्वितीय वर्ष वृक्षारोपण कार्य				
1	गडडा भरान	1970	1.91	3762.70
2	कन्टूर फर्रे में बीज बुआई	1970	1.15	2265.50
3	पौध की कीमत(20 प्रतिशत क्षतिपरक सहित) 5060+1012 पौध पौध	1970	1.90	3743.00
4	पौध दुलान 1. वाहन द्वारा 50 कि०मी० से लोडिंग व अनलोडिंग सहित 2. सिरबोझ दुलान 3 कि०मी०	1970 1970	9.35 6.27	18419.50 12351.90
5	पौधा रोपण कार्य	1970	3.42	6737.40
6	निराई गुडाई प्रथम बार	1970	1.26	2482.20
7	निराई गुडाई द्वितीय बार	1970	1.26	2482.20
8	खाद/रसायन	1970	0.35	689.50
9	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 5 है० पर) (9884 दर से 8 माह)/5 है० = 15814.00 1. 5.0 है० तक वृक्षारोपण — 15814.00 2. 6.0 है० से 10 है० तक वृक्षारोपण— 3. 10 है० से 20 है० तक वृक्षारोपण—	1.97	15814.00	31153.58
10	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1.97	245.00	482.65
11	वृक्षारोपण अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से उगे पौधों में सिंगलिंग—पूनिंग व थावलाबन्दी कार्य (100 प्रति है०)	1970	20.53	40444.10
12	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत प्रति है० 450 कटिंग का रोपण कार्य	1970	1.15	2265.50
उप योग—		-	-	127279.73
13	मुल्याकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	1.97	478.57	942.78
14	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	1.97	239.29	471.40
15	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय— 1 प्रतिशत	1.97	478.57	942.78
16	कार्यालय व्यय— स्टेशनरी, हाईवेयर/साफ्टवेयर— 1 प्रतिशत	1.97	478.57	942.78
17	अन्य आकिस्मक व्यय— 2 प्रतिशत	1.97	957.14	1885.57

18	साईन बोर्ड लगाना (3x4फीट) कम्पलीट कार्य	1.97	L.S	5000.00
योग द्वितीय वर्ष		-	-	137465.05

क.सं.	कार्य का नाम	ईकाइ	दर	धनराशि
तृतीय वर्ष अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (9884 दर से 12 माह)/5 है0 = 23721.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 23721.00 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण-	1.97	23721.00	46730.37
2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौधों की कीमत व ढुलान का मुल्य रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर कार्य किया जायेगा	1970	30.92	60912.40
3	निराई गुडाई प्रथम बार	1970	1.26	2482.20
4	निराई गुडाई द्वितीय बार	1970	1.26	2482.20
5	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.97	245.00	482.65
6	मुल्याकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	1.97	335.40	660.74
7	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	1.97	167.70	330.37
8	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय- 1 प्रतिशत	1.97	335.40	660.74
9	कार्यालय व्यय- स्टेशनरी, हाईवेयर/साफटवेयर- 1 प्रतिशत	1.97	335.40	660.74
10	अन्य आकिस्मक व्यय- 2 प्रतिशत	1.97	670.81	1321.50
योग तृतीय वर्ष		-	-	116723.90
चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (9884 दर से 12 माह)/5 है0 = 23721.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 23721.00 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण-	1.97	23721.00	46730.37
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.97	245.00	482.65
3	मुल्याकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	1.97	119.83	236.07
5	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय- 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
6	कार्यालय व्यय- स्टेशनरी, हाईवेयर/साफटवेयर- 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
7	अन्य आकिस्मक व्यय- 2 प्रतिशत	1.97	479.32	944.26
योग चतुर्थ वर्ष		-	-	49809.74
पंचम वर्ष अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (9884 दर से 12 माह)/5 है0 = 23721.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 23721.00 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण-	1.97	23721.00	46730.37
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.97	245.00	482.65
उप योग-		-	-	47213.02
3	मुल्याकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	1.97	119.83	236.07
5	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय- 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
6	कार्यालय व्यय- स्टेशनरी, हाईवेयर/साफटवेयर- 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
7	अन्य आकिस्मक व्यय- 2 प्रतिशत	1.97	479.32	944.26
योग पंचम वर्ष		-	-	49809.74

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाइ	दर	घनराशि
षष्ठम वर्ष अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (9884 दर से 12 माह)/5 है0 = 23721.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण – 23721.00 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण– 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण–	1.97	23721.00	46730.37
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.97	245.00	482.65
उप योग–		-	-	47213.02
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	1.97	119.83	236.07
5	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय– 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
6	कार्यालय व्यय– स्टेशनरी, हाईवेयर/साफटवेयर– 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
7	अन्य आविस्मक व्यय– 2 प्रतिशत	1.97	479.32	944.26
योग षष्ठम वर्ष		-	-	49809.74
सप्तम वर्ष अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (9884 दर से 12 माह)/5 है0 = 23721.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण – 23721.00 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण– 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण–	1.97	23721.00	46730.37
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.97	245.00	482.65
उप योग–		-	-	47213.02
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	1.97	119.83	236.07
5	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय– 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
6	कार्यालय व्यय– स्टेशनरी, हाईवेयर/साफटवेयर– 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
7	अन्य आविस्मक व्यय– 2 प्रतिशत	1.97	479.32	944.26
योग सप्तम वर्ष		-	-	49809.74
अष्टम वर्ष अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (9884 दर से 12 माह)/5 है0 = 23721.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण – 23721.00 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण– 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण–	1.97	23721.00	46730.37
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.97	245.00	482.65
उप योग–		-	-	47213.02
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	1.97	119.83	236.07
5	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय– 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
6	कार्यालय व्यय– स्टेशनरी, हाईवेयर/साफटवेयर– 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
7	अन्य आविस्मक व्यय– 2 प्रतिशत	1.97	479.32	944.26
योग अष्टम वर्ष		-	-	49809.74

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाइ	दर	घनराशि
नवम वर्ष अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (9884 दर से 12 माह)/5 है0 = 23721.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 23721.00 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण-	1.97	23721.00	46730.37
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.97	245.00	482.65
उप योग-		-	-	47213.02
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	1.97	119.83	236.07
5	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय- 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
6	कार्यालय व्यय- स्टेशनरी, हाईवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
7	अन्य आक्स्मक व्यय- 2 प्रतिशत	1.97	479.32	944.26
योग नवम वर्ष		-	-	49809.74
दसम वर्ष अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (9884 दर से 12 माह)/5 है0 = 23721.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 23721.00 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण-	1.97	23721.00	46730.37
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.97	245.00	482.65
उप योग-		-	-	47213.02
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	1.97	119.83	236.07
5	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय- 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
6	कार्यालय व्यय- स्टेशनरी, हाईवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
7	अन्य आक्स्मक व्यय- 2 प्रतिशत	1.97	479.32	944.26
योग दशम वर्ष		-	-	49809.74

एकादस वर्ष अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (9884 दर से 12 माह)/5 है0 = 23721.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 23721.00 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण-	1.97	23721.00	46730.37
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.97	245.00	482.65
उप योग-		-	-	47213.02
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	1.97	119.83	236.07
5	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय- 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
6	कार्यालय व्यय- स्टेशनरी, हाईवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
7	अन्य आक्स्मक व्यय- 2 प्रतिशत	1.97	479.32	944.26
योग एकादस वर्ष		-	-	49809.74

द्वादस वर्ष अनुरक्षण कार्य

1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (9884 दर से 12 माह)/5 है0 = 23721.00 1. 5.0 है0 तक वृक्षारोपण - 23721.00 2. 6.0 है0 से 10 है0 तक वृक्षारोपण- 3. 10 है0 से 20 है0 तक वृक्षारोपण-	1.97	23721.00	46730.37
2	सुरक्षा दीवाल घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.97	245.00	482.65
उप योग-		-	-	47213.02
3	मुल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
4	श्रम कल्याण कार्य 0.50 प्रतिशत	1.97	119.83	236.07
5	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय- 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
6	कार्यालय व्यय- स्टेशनरी, हाईवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	1.97	239.66	472.13
7	अन्य आकिस्मक व्यय- 2 प्रतिशत	1.97	479.32	944.26
योग द्वादस वर्ष		-	-	49809.74

योग प्रथम वर्ष से द्वादस वर्ष	-	-	996049.94
या	-	-	996050.00

व्यय सार

प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)	-	-	293573.38
द्वितीय वर्ष (वृक्षारोपण कार्य)	-	-	137465.05
तृतीय वर्ष (अनुरक्षण प्रथम वर्ष)	-	-	116723.90
चतुर्थ वर्ष (अनुरक्षण द्वितीय वर्ष)	-	-	49809.74
पंचम वर्ष (अनुरक्षण तृतीय वर्ष)	-	-	49809.74
षष्ठम वर्ष (अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष)	-	-	49809.74
सप्तम वर्ष (अनुरक्षण पंचम वर्ष)	-	-	49809.74
अष्ठम वर्ष (अनुरक्षण षष्ठम वर्ष)	-	-	49809.74
नवम वर्ष (अनुरक्षण सप्तम वर्ष)	-	-	49809.74
दसम वर्ष (अनुरक्षण अष्ठम वर्ष)	-	-	49809.74
एकादस वर्ष (अनुरक्षण नवम वर्ष)	-	-	49809.74
द्वादस वर्ष (अनुरक्षण दसम वर्ष)	-	-	49809.74
11वें वर्ष से 20वें वर्ष तक अनुरक्षण	-	-	498090.00
योग-	-	-	1494139.94
या-	-	-	1494140.00


 जवन क्षेत्रसंपकारी
 अरमोड़ा वन क्षेत्र अरमोड़ा


 प्रभुमान वनारसिकारी
 अरमोड़ा वन क्षेत्र अरमोड़ा